तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज प्रगाराम पुत्र बनाम खेमाराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख के जारी हुये
06.05.2024	अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा कारोला के खेत खसरा संख्या 498 रकबा 3.21 है, खसरा संख्या 499 रकबा 2.80 है, खसरा संख्या 500 रकबा 0.01 है, खसरा संख्या 501 रकबा 4.35 है, खसरा संख्या 562 रकबा 0.05 है, खसरा संख्या 567 रकबा 0.12 है, खसरा संख्या 568 रकबा 0.01 है, खसरा संख्या 569 रकबा 1.26 है, खसरा संख्या 570 रकबा 0.05 है, खसरा संख्या 571 रकबा 2.08 है, खसरा संख्या 572 रकबा 3.35 है, खसरा संख्या 1774 रकबा 1.55 है, खसरा संख्या 1775 रकबा 0.45 है, खसरा संख्या 1776 रकबा 1.16 है, खसरा संख्या 1777 रकबा 1.55 है, खसरा संख्या 1887 रकबा 2.80 है, खसरा संख्या 1888 रकबा 1.84 है, खसरा संख्या 1889 रकबा 1.65 है, खसरा संख्या 1890 रकबा 1.80 है, खसरा संख्या 1891 रकबा 1.95 है, खसरा संख्या 1894 रकबा 0.86 है कुल खसरे 21 जूमले रकबा 32.90 हैक्टेयर के आये हुए है, जिनका राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती दर्ज है। राजस्व रेकर्ड मे विधिवत् बंटवाड़ा नहीं हुआ है, मगर मौके पर अलग-अलग काबिज काश्त है, प्रार्थीगण अपना हिस्सा अलग करवाने हेतु बंटवाड़े का वाद पेश किया है। प्रार्थीगण के काबिज काश्त के खसरे नक्शा ट्रेश में लाल रंग से दर्शाये गये है, जबकि अप्रार्थीगण के काबिज काश्त के खसरे आसमानी काले, पीले व गुलाबी रंग से दर्शाये गये है। सभी खसरे राजस्व रेकर्ड में शामलाती है मगर मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बंटवाड़ा किया हुआ है, बावजूद इसके अप्रार्थीगण हमेशा धमकियां देते है कि हमारी इच्छानुसार किसी भी खसरे में से भूमि बेचान कर देंगे, क्योंकि हर खसरे मे हमारा नाम दर्ज है। जबकि मौके पर प्रार्थीगण द्वारा अपने काबिज काश्त के खसरा नंबरान में दिन-रात मेहनत कर उपजाउ बनाया है तथा मौके पर बंटवाड़ा हुए करीब 35 वर्ष हो गये है, तथा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि कीमती है प्रार्थीगण अपने खसरा नम्बरान के खेत में खाद बीज डालकर उपजाउ बना दिया है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि में सहज शांतिपूर्ण काबिज काश्त है, परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को बेचान करने पर आमदा है तथा अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनो मुलभूत कानुनी स्तम्भ प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा पाने के हकदार होने से प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी है तथा विधिवत् राजस्व बंटवाड़ा नहीं हुआ है तथा मौके पर भी कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं तथा ना ही कोई अपूरणीय क्षति होनी है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारीज फरमावें। मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली-भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया, अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **:- आदेश :-** अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा कारोला के खेत खसरा संख्या 498, 499, 500, 501, 562, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 1774, 1775, 1776, 1777, 1887, 1888,1889, 1890, 1891,1894 जूमले रकबा 32.90 हैक्टेयर वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर [illegible] के साथ नत्थी हो। (फास्ट-ट्रेक)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.06.07 17:38:18 IST
Reason: SelfAttested